



डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्बद्धता/४९४/२००९

दिनांक : १९/१२/२००९

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
नर्मदा देवी महिला महाविद्यालय,  
कमला नगर, विमल वाटिका, आगरा ।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या सम्ब०-६३८/सत्तर-२-२००८-२(५७०)/२००७ लखनऊ दिनांक ३० दिसम्बर २००८ द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश २००७) की धारा ३७(२) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा सकार्यान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक ०१-०७-२००८ से उक्त पत्र में उल्लिखित तीन शर्तों के अधीन १०० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक ३० दिसम्बर २००८ में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

१. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में दी गई शर्तें शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णतः तृप्त निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय



डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(2)

3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों का पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के पत्र में इंगित कर्मियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित

1. सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
2. निजी सचिव कुलपति।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,  
जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।

कुलसचिव

Principal  
N. D.  
Kamla N.

Principal  
N. D. M. M.  
Kamla Nagar, Agra



# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बद्धन/29-25/11  
दिनांक: 9/11/11

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
नर्मदा देवी महिला महाविद्यालय,  
विमल, वाटिका, कर्मयोगी, कपला नगर,  
आगरा।

महोदय,

अनुसूचि, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-477/सत्तर-2-2011-2(477)/2011 लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2007) की धारा 37(2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्वयत्त पोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2011-12 हेतु संबद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है तथा घोषित परीक्षाफल शासन के अनुसार होने की स्थिति में स्नातक स्तर पर वाणिज्य-संकायान्तर्गत बी0बी0 पाठ्यक्रम/विषयों में सत्र 2011-12 में संबद्धता में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन संबद्धता की पूर्वानुमति को संबद्धता (स्थायी) प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में शासन के पत्र 2011 के अनुसार निर्धारित होगी।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सम्बन्धित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में संबद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धन शासन के उक्त पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अर्थों में पूर्ण रूप से मान्य किया जायेगा।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में संस्था के निर्देशों एवं इस विषय में सम्य-संश्लेष पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणयमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय के बीच निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी विस्तारता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी संबद्धता वापस लिये जाने की आवश्यकता नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धन शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो संबद्धता अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई संबद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनापूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु अध्यादेशित।

- 1- सहायक कुलपति/उपकुलपति/परीक्षा, गोपनीय, शिक्षण, प्रकाशन, सेवा।
- 2- निदेशाचार्य कुलपति।
- 3- शैक्षणिक उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा एम्बेडकर विश्वविद्यालय, कपला नगर, आगरा।
- 4- प्राचार्य, एम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

सहायक कुलपति (सम्बन्धित)

सहायक कुलपति